संख्या-123/2016/255/22-2-2016-17(101)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी-जनपद-अलीगढ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजू पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी-गिहारा नगर, थाना-गॉधी पार्क, जनपद-अलीगढ। बन्दी द्वारा विजली के खम्भे से तार सही करने के विवाद को लेकर दिनांक 07.03.2008 को एक अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से एक व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1019/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-12, अलीगढ द्वारा दिनांक 09.09.2010 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2015 तक 07 वर्ष 05 माह 30 दिन की अपरिहार एवं 09 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राजू (बन्दी संख्या-16494) पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी जनपद-अलीगढ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-123/2016/255/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in